संख्या– /VI-I/2006

प्रेषक,

अमिताभ श्रीवास्तव,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल,
उत्तरांचल, देहरादून।

युवा कल्याण अनुभाग देहरादून दिनांक: 24 जनवरी, 2006

विषयः–जनपद पौड़ी की जिला योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्रीड़ा स्थलों के निर्माण मद में धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1097/सात– 1215/2005–06 दिनांक 03 जनवरी, 2006 के क्रम में पौड़ी स्थित कण्डोलिया मैदान के विस्तारीकरण हेतु वित्त विभाग की टी0ए0सी0 द्वारा स्वीकृत औचित्यपूर्ण धनराशि रू0 8.85 लाख (रू0 आठ लाख पिच्यासी हजार मात्र) एवं राजकीय इण्टर कालेज पाबौ में खेल मैदान के निर्माण हेतु वित्त विभाग की टी0ए0सी0 द्वारा स्वीकृत औचित्यपूर्ण धनराशि रू0 4.00 लाख (रू0 चार लाख मात्र) कुल 12.85 लाख (रू0 बारह लाख पिच्यासी हजार मात्र)की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005–06 में इतनी ही धनराशि श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के साथ व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. आंगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता को अनुमोदन आवश्यक है।

2. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आंगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

3. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

4. एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आंगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

5. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

6. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

7. आंगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए एक का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए।

7 (ए) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला में टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपुयक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

2. उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबंध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का

अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त

करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। धनराशि का आहरण व व्यय आवश्यकतानुसार ही किया जाय।

3 धनराशि उसी मद में व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है। व्यय में मितव्ययता के सम्बंध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय। स्वीकृत धनराशि के व्यय के विवरण शासन तथा महालेखाकार को नियमित रूप से भेजे।

4. इस सम्बंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2005–06 के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2204–खेलकूद तथा युवा सेवायें–00– –001–निदेशन तथा प्रशासन–आयोजनागत–91–जिलायोजना–9101–प्रादेशिक दल एवं युवा कल्याण–42–अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

5. उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 पत्र संख्या–612 /XXVII (3)/2005 दिनांक–23, जनवरी, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहें हैं।

भवदीय

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव

पृष्ठांकन संख्या– 01 /VI-I/2006, तद्दिनांकित
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल शासन।
3. जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5. अपर सचिव, वित्त, उत्तरांचल शासन।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी।
7. वित्त अनुभाग–2, उत्तरांचल, देहरादून।
8. एन0आई0सी0, देहरादून।
9. बजट राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव